प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति मुकेश नारंग की हत्या करने वाली अभियुक्ता व अभियुक्त को गोविन्द नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया गया अभियोग पंजीकरण के 24 घण्टे के अन्दर की गयी गिरफ्तारी

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट कानपुर नगर व श्रीमान संयुक्त पुलिस आयुक्त महोदय व श्रीमान पुलिस उपायुक्त महोदय दक्षिण जोन कमिश्नरेट कानपुर नगर व श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त महोदय दक्षिण व श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त महोदय बाबूपुरवा के कुशल निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व अपराधियों पर नियंन्त्रण एंव धरपकड़ के तहत दिनांक 01.12.2023 को थाना गोविन्द नगर कानपुर नगर पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 351/2023 धारा 302/328 भादवि से सम्बन्धित नामजद अभियुक्ता 1. कुमारी मीना उर्फ दिव्या पत्नी मुकेश नारंग पुत्री ज्ञान सिंह निवासिनी 44/9 ब्लाक नं0-05 गोविन्द नगर कानपुर नगर उम्र 21 वर्ष मायके का पता समसपुर थाना चरवा जिला कौशाम्बी उम्र करीब 21 वर्ष को उसके निवास स्थान म0न0 44/9 ब्लाक न0 05 गोविन्द नगर से व अभियुक्त संजय पाल पुत्र फूलचन्द्र निवासी समसपुर थाना चरवा जिला कौशाम्बी को मुखबिर की सूचना के आधार पर साइकिल स्टैण्ड गोविन्दपुरी रेलवे स्टेशन गोविन्द नगर के पास से गोविन्द नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अभियोग से सम्बन्धित दोनो अभियुक्त वर्ष 2019 से आपस में प्यार करते है तथा दोनो अभियुक्त एक ही गाँव के रहने वाले है तथा एक ही विद्यालय में एक साथ पढाई करते है। दोनो एक दूसरे को पाना चाहते थे, लेकिन अलग अलग जातियों के होने के कारण दोनो की शादी नही हो सकी। दोनो के मध्य मोबाइल फोन में व्हाटसप, वीडियों काल व स्नैप चैट के माध्यम से वार्ता होती थी। दोनो अभियुक्त के मोबाइल फोन गिरफ्तारी के दौरान बरामद करने पर परीक्षण के उपरान्त घटना दिनांक 24.11.2023 को स्नैपचैट के माध्यम से वार्ता करने की पुष्टि हुई है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण द्वारा जुर्म को स्वीकार किया गया है। स्नैपचैट के माध्यम से वार्ता किये जाने वाले मोबाइल फोन को बरामद कर परीक्षण कर कब्जा पुलिस में लेकर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

1. कुमारी मीना उर्फ दिव्या पत्नी मुकेश नारंग पुत्री ज्ञान सिंह निवासिनी 44/9 ब्लाक नं0-05 गोविन्द नगर कानपुर नगर उम्र 21 वर्ष मायके का पता समसपुर थाना चरवा जिला कौशाम्बी उम्र करीब 21 वर्ष

2. संजय पाल पुत्र फूलचन्द्र निवासी समसपुर थाना चरवा जिला कौशाम्बी उम्र 19 वर्ष

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण-

1. मुकदमा अपराध संख्या 351/2023 धारा 302/328 भादवि थाना गोविन्द नगर कानपुर नगर

बरामदगी अभियुक्तगण-

एक अदद रेडमी मोबाइल व एक अदद वीवो मोबाइल फोन, जिससे अभियुक्त व अभियुक्ता द्वारा आपस में वार्ता की जाती थी।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री विक्रम सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना गोविन्द नगर कमिश्नरेट कानपुर नगर
2. उ0नि0 अरुण कुमार राठी चौकी प्रभारी गोविन्द नगर थाना गोविन्द नगर कानपुर नगर
3. हे0का0 1021 प्रमोद कुमार थाना गोविन्द नगर कानपुर नगर
4. हे0का0 1876 जितेन्द्र सिंह थाना गोविन्द नगर कमिश्नरेट कानपुर नगर
5. का0 3688 रामकिशन थाना गोविन्द नगर कमिश्नरेट कानपुर नगर
6. म0का0 3693 भावना नायक थाना गोविन्द नगर कमिश्नरेट कानपुर नगर